RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 49/2023

प्रार्थी– **बनाम** **अप्रार्थीगण–**

1. श्री जोगसिंह पुत्र मुकनसिंह
2. श्री दलपतसिंह पुत्र जोगसिंह जातियान राजपूत निवासीयान अजीत, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

1. श्री अर्जुनसिंह पुत्र अनोपसिंह
2. श्री जोगसिंह पुत्र अनोपसिंह
3. श्री डूंगरसिंह पुत्र आनन्दसिंह जातियान राजपूत, निवासियान अजीत, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।
4. सरकार जरिये ग्राम पंचायत अजीत, पंचायत समिति समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1961 विरूद्ध पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 जो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के पूर्वज भूरसिंह, चिमनसिंह के नाम ग्राम पंचायत अजीत द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपील श्रीमाली, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :08.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत अजीत द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वज भूरसिंह, चिमनसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 के विरूद्ध दिनांक 11.05.2022 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 04 ग्राम पंचायत अजीत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज भूरसिंह, चिमनसिंह के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1961 के नियम 266 के तहत मौजा अजीत में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का पड़ौस बदिशा उतर में दरवाजा, बदिशा दक्षिण में उडेर जाव, पूर्व में खुद का रास्ता बाड़ा में जाने का

जिला कलक्टर
बालोतरा

रास्ता एवं पश्चिम में भोपालसिंह आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत अजीत से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा पेश जवाब में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 जो अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत पंचायत अजीत द्वारा जारी किया गया, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है तथा उस सरपंच के द्वारा जारी पट्टे को ही वेद्य एवं स्वीकार माना जाता था। वर्ष 1959 में पट्टा जारी होने के समय पट्टो पर सरपंच के ही हस्ताक्षर होते थे तथा उक्त आलोच्य पट्टा प्रारूप पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर का कॉलम भी नहीं है। उक्त पट्टा पूर्ण रूप से वैद्य होने पर आज रोज तक कायम हैं। वर्ष 1959 में जारी तत्कालीन सरपंच वगतावरसिंह के हस्ताक्षरित पटटे के आधार पर भूमि जरिये बेचान (वर्ष 2001) दस्तावेज खरीद की गयी है, जो आज रोज तक खरीदकार्ता (अप्रार्थीगण)के तौर पर कब्जा है। उक्त खरीद की जानकारी प्रार्थी को बखूबी है। उक्त प्रश्नगत पट्टे पर भूखण्ड का माप व आस–पड़ौस अंकित है। सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय में प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व को नहीं स्वीकार किया गया। उक्त आलोच्य पट्टा की मिसल रसीद व अन्य दस्तावेज बाढ़ में नष्ट होने से उपलब्ध होना संभव नहीं है, जैसा कि ग्राम पंचायत अजीत ने लिखकर दिया है एवं जो सिविल वाद में स्वयं प्रार्थी जोगसिंह पुत्र मुकनसिंह द्वारा अपने शपथ पत्र बयान में उसे स्वीकार किया है। उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित रेकर्ड बाढ़ में नष्ट होने से उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित रेकर्ड के अभाव में तथाकथित पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी स्वयं द्वारा सिविल न्यायालय सिवाना के वाद में पेश गवाह चिमनसिह, भूरसिंह अप्रार्थीगण के पूर्वज होना बताया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधरित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है, जो निगरानी को खारीज की जाए।

5. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस एवं लिखित बहस में यह कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वज रहवासीय भूखण्ड मौजा अजीत की आबादी भूमि अजीत में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत अजीत द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वज भूरसिंह, चिमनसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो फर्जी है। उक्त प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पंचायत नियमों के तहत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई और न ही पंचायत राज नियमों की पालना की गई। उक्त तथाकथत पट्टा से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड या दस्तावेज नहीं है, न ही पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है और न ही पट्टे पर सरपंच की मोहर है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

तथा उक्त पट्टे पर आलोच्य भूखण्ड का नक्शा भी अंकित नहीं है। प्रार्थी के कब्जा सुदा भूमि को अपनी बताकर फर्जी पट्टे के आधार पर सिविल न्यायालय में एक दिवानी वाद पेश किया, मौका देखा गया तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा होना माना गया। सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी जोगसिंह पुत्र अनोपसिंह का वाद पत्र बिना कब्जे का होने के आधार पर खारिज किया गया। अप्रार्थी का भूखण्ड प्रार्थी के भूखण्ड के बदिशा पूर्व में स्थित गली के बाद फाटक लगी है, वहां से शुरू होता है, जो कमीश्नर ने अपनी रिपोर्ट से स्पष्ट किया है। उक्त भूखण्ड पर कोई कब्जा स्वामित्व नहीं होते हुए भी अप्रार्थी ने फर्जी पट्टे के आधार पर दिवानी वाद संख्या 7/2016 बअनवान जोगसिंह बनाम जोगसिंह प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी जोगसिंह पुत्र अनोपसिंह का दावा खारिज किया गया। वक्त वाद विचारण गांव अजीत में ग्रामवासियों द्वारा इक्टठे होकर पंचायती की गई, जिसमें उक्त भूखण्ड जोगसिंह पुत्र मुकनसिंह का होना बताया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व का पैतृक है, जिसको हड़पने की नियत से अप्रार्थी ने फर्जी पट्टा तैयार किया है, जो अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम आलोच्य पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 को जारी करने विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

6. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वज रहवासीय भूखण्ड मौजा अजीत की आबादी भूमि अजीत में आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत अजीत द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वज भूरसिंह, चिमनसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 पूर्णतया विधि सम्मत है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा के संबंध में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया, लेकिन स्वयं ग्राम पंचायत अजीत के द्वारा पत्र के जरिये श्रीमान को अवगत करवाया गया कि प्राकृतिक कारणों (बाढ़) की वजह से उक्त पटटे संबंधित मिसल ग्राम पंचायत अजीत में मौजुद नहीं है, जिसे पेश नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई हैं तथा यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा प्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता हैं तथा न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय में पत्रावली के अभाव में परीक्षण किया जाना संभव नही हैं। साथ ही अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 जो अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत पंचायत अजीत द्वारा जारी किया गया, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर है तथा उस सरपंच के द्वारा जारी पट्टे को ही वैद्य एवं स्वीकार माना जाता था।। वर्ष 1959 में पट्टा जारी होने के समय पट्टो पर सरपंच के ही हस्ताक्षर होते थे तथा उक्त आलोच्य पट्टा प्रारूप पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर का कॉलम भी नहीं है। उक्त पट्टा पूर्ण रूप से वैद्य होने पर आज रोज तक कायम हैं। वर्ष 1959 में जारी तत्कालीन सरपंच वगतावरसिंह के हस्ताक्षरित पटटे के आधार पर भूमि जरिये बेचान (वर्ष 2001) दस्तावेज खरीद की गयी है, जो आज रोज तक खरीदकर्ता (अप्रार्थीगण)

जिला कलक्टर
झालावाड़

के तौर पर कब्जा है, जो पत्रावली के साथ संलग्न किया गया है। उक्त खरीद की जानकारी प्रार्थी को बखूबी है। उक्त प्रश्नगत पट्टे पर भूखण्ड का माप व आस–पड़ौस अंकित है। पत्रावली में सलंग्न अप्रार्थी जोगसिंह पुत्र अनोपसिंह के नाम विद्युत कनेक्शन वर्ष 1998 से ले रखा तथा अप्रार्थीगण पक्के मकान बने हुए है तथा विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 का अवासीय मकान कई वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का ही कब्जा होना प्रतीत होता है। प्रार्थी के नाम न तो लाईट कनेक्शन ले रखा है और न ही पानी कनेक्शन तथा प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व संबंधित ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी का स्वामित्व है। इस प्रकार उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर अप्राथीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में सारे तथ्य गलत, निराधार एवं भ्रम उत्पन्न करने हेतु अभिकथित किये है जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत अजीत द्वारा अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 के पूर्वज के पक्ष मे विधि अनुसार पट्टा जारी किया हैं तथा इसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की हैं। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 का अवासीय मकान कई वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी किया हैं, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही हैं। बाढ़ आने के कारण ग्राम पंचायत का रेकर्ड नष्ट हो गया जिससे अप्रार्थीगण के पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु इससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता हैं कि पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष मे पट्टा जारी करने की कोई पत्रावली कायम नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने पर किसी प्रकार का फौजदारी प्रकरण आज रोज तक दर्ज नहीं करवाया और न ही प्रश्नगत पट्टा फर्जी होने पर किसी भी पंचायत राज संस्था के द्वारा उपरोक्त पटटे को अपनी जांच में फर्जी करार दिया हो। वर्ष 2001 में ग्राम पंचायत अजीत की मौका कमेटी के द्वारा भी जांच के वक्त वर्ष 1959 के जारी पट्टे को सही होना मानते हुए विवादित भूखण्डों की जांच करने से यह स्पष्ट है कि तथाकथित प्रश्नगत पट्टे पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर पूर्ण रूप से सही थे, जो किसी भी रूप से फर्जी एवं कूटरचित तरीके से नहीं किये गये थे। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधारित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है।

7. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह भी प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा मौजुद रहा हो, तो इस बारे में प्रार्थी द्वारा दस्तावज पेश नहीं किया गया। सिविल न्यायालय सिवाना के समक्ष विचाराधीन वाद में स्वयं प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत अजीत के रेकर्ड चोरी होने एवं विवादित भूखण्ड पर निर्माण कार्य मौका कमिश्नर के द्वारा मुआवयना करने से कुछ रोज पूर्व ही कथन करने से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं सिविल न्यायालय सिवाना के समक्ष शपथ बयानों में विवादित भूखण्ड बाबत किसी प्रकार पट्टा स्वयं के पक्ष में जारी नहीं होना कथन करने व विवादित भूखण्ड पर कब्जे से संबंधित बिजली पानी इत्यादी कनेक्शन बाबत दस्तावेज प्राप्त नहीं करने एवं मौके पर स्वयं के नाम से बिजली व पानी कनेक्शन जारी नहीं होने के कथन

जिला कलक्टर
जालोतरा

करने से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। दिवानी वाद में प्रार्थी द्वारा पेश गवाहान जबरसिंह पुत्र रामसिंह, संतोष कुमार देवाराम द्वारा भी विवादित भूखण्ड पर मौका देखने के कुछ रोज पूर्व प्रार्थी द्वारा कब्जा किया जाना बताया गया। उक्त विवादित भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनापति प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2015 को नियमानुसार रसीद प्राप्त कर जारी की गई। साथ ही कथन किया कि पंचायतीराज कानून मे निगरानी प्रस्तुत करने की कोई मयाद निर्धारित नहीं की गई है परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई न्याय दृष्टान्तों में किसी पट्टे को निगरानी के माध्यम से चुनौती देने की मयाद 3 वर्ष निर्धारित की हैं। इस प्रकरण मे ग्राम पंचायत अजीत द्वारा पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता, औचित्यता या अनियमितता के बारे मे लगभग 63 वर्ष बाद असाधारण विलम्ब (Inordinate delay) के बाद चुनौती दी हैं। इस असाधारण विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से पृथक से कोई धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हैं।

8. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1959 में ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 65 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण का कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत अजीत द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पूर्वज भूरसिंह, चिमनसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत निवासी अजीत के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जो फर्जी है एवं उक्त प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पंचायत नियमों के तहत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई और न ही पंचायत राज नियमों की पालना की गई, उक्त तथाकथित पट्टा से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड या दस्तावेज नहीं है तथा उक्त विवादित भूखण्ड पर प्राथीगण का कब्जा है। इस संबंध में पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 ग्राम पंचायत अजीत द्वारा आलोच्य पट्टा वर्ष 1959 में जारी होना बताया गया। उक्त पक्षकारान के मध्य उक्त आलोच्य भूखण्ड के संबंध में प्रथम बार सिविल न्यायालय में मुकदमा संख्या 08/2003 दर्ज होकर 2012 में फैसल हुआ, होना पाया गया तथा पुनः एक अन्य उक्त विवादित भूखण्ड से संबंधित प्रकरण 07/2016 सिविल न्यायालय में दर्ज होना पाया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी वर्ष 2022 में पेश की गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को जानकारी होने के बावजूद भी निगरानी वर्षो बाद पेश की गई है, जो म्याद बाहर होना प्रतीत होता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयुपर के द्वारा सीताराम बनाम कलेक्टर दौसा के जरिये निगराकार द्वारा 14 वर्ष उपरांत पेश निगरानी को अस्वीकार करते हुए निगरानी के आदेश को निरस्त किया गया है। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

जिला कलक्टर
बालोतरा

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप आलोच्य पट्टा संख्या 65 दिनांक 15.01.1959 को बहाल रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

10. निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा